



सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-17.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री अरूण शंकर प्रसाद,
स०वि०स०
श्री हरिमूषण ठाकुर "बचोल"
स०वि०स०
श्री सुधांशु शेखर,
स०वि०स०

"राज्य के विभिन्न पंचायती राज संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2002-03 से लेकर 2022-23 तक आवंटित राशि 26 हजार 182 करोड़ में से मात्र एक तिहाई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया गया है। इस कारण 20 हजार करोड़ से अधिक आवंटित राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हो चुकी है। पुरानी योजनाओं बी आर जी एफ, आर एस बी वार्ड, 12 वें वित्त आयोग, 13 वें वित्त आयोग, तृतीय राज्य वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की राशि भी इसमें शामिल हैं। आवंटित राशि से पंचायती राज संस्थानों द्वारा विकास कार्य नली, गली, सड़क आदि बनाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल सात निश्चय योजना के अनुरक्षण और रख-रखाव, कुआ के जीर्णोद्धार छठ घाट का निर्माण में खर्च करने का प्रावधान है।

अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र के विलम्ब के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई तथा जल्द-से-जल्द उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"

पंचायती
राज

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/25- 168

/वि०स०, पटना, दिनांक-

12 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित
(रविन्द्र पंडित) 12/3/25

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/25- 168

/वि०स०, पटना, दिनांक-

12 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रीगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को
क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित
(रविन्द्र पंडित) 12/3/25

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/25- 168

/वि०स०, पटना, दिनांक-

12 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना
उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित
(रविन्द्र पंडित) 12/3/25

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/25- 168

/वि०स०, पटना, दिनांक-

12 मार्च, 2025 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित
(रविन्द्र पंडित) 12/3/25

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।